

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर

प्रबन्ध मण्डल की सातवीं बैठक दिनांक 14-02-2008 का कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की सातवीं बैठक दिनांक 14-02-2008 को प्रातः 11:30 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर के मीटिंग हाल में माननीय कुलपति महोदय डॉ. सी.बी. गोना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. डॉ. सी.बी.गोना- कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. डॉ. ओ.पी. महेन्द्रा- माननीय विधायक कैसरीसिंहपुर- सदस्य
3. श्री जीतराम - माननीय विधायक मालपुरा- सदस्य
4. डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल- सदस्य
5. प्रो० बी.पी. सारस्वत- सदस्य
6. प्रो. एल.एन. गुप्ता- सदस्य
7. श्री प्रेम कुमार - सदस्य
8. डॉ. आर.जी. भूतडा- सदस्य
9. डॉ. एस.एन.शर्मा - सदस्य
10. श्री पी.आर. दानोदिया- सदस्य
11. श्री श्याम सुन्दर रांकावत-कुलसचिव एवं सदस्य सचिव
12. वित्त नियंत्रक, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त)
13. श्री के.एस. बीका- वित्त नियंत्रक।
14. श्री उमेश चतुर्वेदी- परीक्षा नियंत्रक।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा प्रबन्ध मण्डल के नव मनोनीत सदस्य श्री प्रेम कुमार का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में हुए विचार-विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. बीवि/बोम-6/2007/63 : प्रबन्ध मण्डल की छठी बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :- प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 11-09-2007 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर से स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि उनकी म.द.स. सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति से वार्ता हो चुकी है। इस क्रम में उक्त वार्ता का संदर्भ देते हुए माननीय कुलपति म.द.स.

विश्वविद्यालय, अजमेर को अर्द्धशासकीय पत्र लिखने का निर्णय लिया गया जिसकी प्रति माननीय विधायक सदस्यों को भी प्रेषित की जायेगी।

उपाधि मुद्रण की जाँच हेतु प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार गठित जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन के पटल पर रखी गई। विचार-विमर्श के उपरान्त इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में मुद्रित कराई गई उपाधियों को वितरण योग्य न मानते हुए नई डिग्री मुद्रित करवाने हेतु खुली निविदा आमंत्रित करने तथा अन्य विश्वविद्यालयों में डिग्री मुद्रण का कार्य कर चुकी व करने वाली पंजीकृत फर्मों की सूची प्राप्त कर इनको भी निविदा फार्म भिजवाकर नई डिग्रियां मुद्रित करवाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय में वर्ष 2003 से जनवरी 2006 तक वित्तीय, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जाँच के लिए राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त, बीकानेर को प्रदत्त जाँच के साथ उपाधि मुद्रण प्रकरण की भी जाँच की जायेगी एवं उसी अनुरूप उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी। जाँच के समय उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी पत्रावली के साथ संभागीय आयुक्त को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा यथा-सम्भव माह जुलाई-अगस्त, 2008 में दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जाए। माननीय सदस्य प्रो. बी.पी. सारस्वत ने सदन को अवगत करवाया कि म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर में आयोजित गत दीक्षान्त समारोह में लगभग 6.50 लाख रुपये का व्यय हुआ था। इसी अनुरूप बजट प्रावधान रखे जाने का सुझाव दिया गया। दीक्षान्त समारोह के लिए बजट आवंटन हेतु प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि अभी तक प्रस्तावित वाहन नहीं खरीदा गया है। विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक से जानकारी चाही गई। दोनों अधिकारियों द्वारा सदन को वाहन क्रय किये जाने की पत्रावली के प्रकरण एवं वित्तीय नियमों व प्रावधानों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। सदन ने नई कार इसी वित्तीय वर्ष में क्रय करने हेतु वित्त नियंत्रक एवं कुलसचिव को निर्देशित किया।

गत बैठक की कार्यवाही विवरण के अन्य बिन्दुओं पर भी विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

2. बीवि/बोम-6/2007/64 : नेशनल कन्या महाविद्यालय घडसाना की अस्थायी सम्बद्धता बहाल करने के सम्बन्ध में :- माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त सत्र 2007-08 के लिए महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता बहाल करने के लिए जारी विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 17-01-2008 की पुष्टि की गई। परन्तु सत्र 2008-09 के लिए निरीक्षण दल गठित कर व निरीक्षण उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही सम्बद्धता में अभिवृद्धि जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही निरीक्षण दल में विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर के वरिष्ठ व्यक्ति को निरीक्षक नियुक्त करने का भी सुझाव दिया गया।

D.R.
C.A.C.

विचार-विमर्श के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने एच.के.एम. एच.के.एम. कॉलेज, घडसाना तथा एम.जे. कुम्हेरिया महाविद्यालय, रावलामंडी में परीक्षा 2007 के दौरान हुई अनियमितताओं, उत्तरपुस्तिकाओं एवं परीक्षा प्रश्न पत्रों के स्टॉक संधारण में बृरती गई अनियमितता आदि के सम्बन्ध में विचाराधीन शिकायतों की जाँच कुलसचिव के स्तर पर विचाराधीन होने का प्रकरण भी उठाया। सदस्य सचिव (कुलसचिव) ने अवगत कराया कि इस तरह की कोई जाँच कुलसचिव स्तर पर विचाराधीन न होकर इस बाबत गठित समिति (डॉ. पी.सी. तातेड़, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव) के स्तर पर विचाराधीन है। सदन की राय में प्रकरण अत्यन्त गंभीर है जिस पर अविलम्ब निर्णय लिया जाना चाहिए था। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि विचाराधीन जाँच अविलम्ब कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जाए ताकि महाविद्यालय के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी जाँच समिति गठित की जावे तो आदेश में जाँच की समय सीमा का भी आवश्यक रूप से निर्धारण किया जाए।

3. बीवि/बोम-6/2007/65 : विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षा 2007 के लिए दिये जाने वाले अतिरिक्त मानदेय/पारिश्रमिक का अनुमोदन :- सदन के समक्ष प्रस्तुत परीक्षा कार्य सम्बन्धी मानदेय के पूरक आदेश क्रमांक प.02()बीविबी/गोपनीय/परीक्षा/2007-08/22172-81 दिनांक 22-01-2008 पर विचार-विमर्श के दौरान वित्त नियंत्रक द्वारा प्रकट की गई असहमति के परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने जानना चाहा कि जब गत बैठक में परीक्षा 2007 के लिए जारी मानदेय/पारिश्रमिक के आदेश (दिनांक 03-08-07 एवं 04-08-07) का अनुमोदन हो चुका तो यह पूरक आदेश जारी करने का क्या कारण है तथा साथ ही इस प्रकार की प्रेक्टिस को भी अनुचित बताया। सदन में उपस्थित कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक ने अवगत कराया कि परीक्षा परिणाम तैयार एवं घोषित करने के कार्य निष्पादन में संलग्न कुछ व्यक्ति (विश्वविद्यालय कर्मचारियों के अतिरिक्त) पूर्व में अनुमोदित आदेशों में सम्मिलित न होने के कारण उक्त आदेश दिनांक 22-01-2008 जारी किया गया। माननीय सदस्य डॉ. बी.पी. सारस्वत ने उक्त कार्यालय आदेश की भाषा के अनुसार प्रस्तावित मानदेय भी विश्वविद्यालय कर्मचारियों को ही देय होने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत करवाया कि पत्रावली में मानदेय का उक्त आदेश विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए न होकर वंचित व्यक्तियों के लिए ही है। विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया कि मानदेय/पारिश्रमिक हेतु जारी उक्त आदेश के स्थान पर संशोधित आदेश जारी कर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परीक्षा 2007 के कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति पर लिये गए व्याख्याताओं को मानदेय/पारिश्रमिक के भुगतान की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को स्मरण पत्र प्रेषित करने का निर्णय भी लिया गया।

C.E.

4. बीवि/बोम-6/2007/66 : विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आश्रितों को शोध के लिए शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान करने बाबत :- विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं इनके आश्रितों को शोध के लिए शुल्क एवं महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य प्रो० बी.पी. सारस्वत ने अवगत करवाया कि म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर में इस प्रकार की छूट पहले प्रदान की जाती थी। परन्तु इस प्रकार का प्रावधान वर्तमान में प्रभावी नहीं है। माननीय सदस्य श्री आर.जी. भूतडा ने अवगत करवाया कि राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित होता है, इसलिए राजकीय महाविद्यालय शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार यह प्रस्ताव अनिर्णित रहा। DIR (2)
5. बीवि/बोम-6/2007/67(i) : श्री बजरंग लाल, परीक्षा नियंत्रक को उपचार हेतु सहायतार्थ एकमुश्त राशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में :- यद्यपि वित्तीय नियमों में विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों के उपचार हेतु सहायतार्थ एक मुश्त राशि स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु विश्वविद्यालय कार्य हेतु यात्रा के दौरान श्री बजरंग लाल के गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए प्रबन्ध मण्डल ने श्री बजरंग लाल के परिवार को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत 1.50 लाख रुपये की राशि को अपर्याप्त माना। प्रबन्ध मण्डल द्वारा पुनः सहानुभूतिपूर्वक विचार कर श्री बजरंग लाल, परीक्षा नियंत्रक के उपचार आदि पर माह जनवरी, 2008 तक हुए व्यय रुपये 4,49,789/- एवं भविष्य में होने वाले व्यय की सम्पूर्ण राशि का विश्वविद्यालय की निजी आय से भुगतान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। EST
6. बीवि/बोम-6/2007/67(ii) : स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत एम.फिल. पाठ्यक्रम के लिए बजट प्रस्ताव :- विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। ✓
7. बीवि/बोम-6/2007/67(iii) : प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय विश्राम गृह, विश्वविद्यालय अतिथि गृह, राज्य पर्यटन विकास निगम होटल्स में ठहराव के सम्बन्ध में :- प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त इस सम्बन्ध में अन्य विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं/प्रावधानों आदि के सम्बन्ध में अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रो. एल.एन. गुप्ता के संयोजन में एक समिति के गठन का निर्णय लिया। प्रो० बी.पी. सारस्वत उक्त समिति के सदस्य होंगे। यह समिति प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के बैठक आदि में भाग लेने के लिए बीकानेर आगमन एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विश्वविद्यालय कार्य से अन्यत्र जाने पर राजकीय विश्राम गृह, विश्वविद्यालय अतिथि गृह एवं राज्य पर्यटन विकास निगम होटल्स में ठहराव पर होने वाले व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी जिन्हे आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा। Acad
Col

8. बीवि/बोम-6/2007/67(iv) : अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों को शोध पर्यवेक्षक के रूप में पंजीकृत करने के सम्बन्ध में :- *DR (N)*
प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पर विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त महाविद्यालय के सम्बन्धित शिक्षकों का सर्वप्रथम अपने स्वयं के विश्वविद्यालय (राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा) में शोध पर्यवेक्षक के रूप में पंजीबद्ध होना आवश्यक है। इसके साथ ही सम्बन्धित शिक्षक इस विश्वविद्यालय में शोध पर्यवेक्षक पंजीकरण हेतु स्वयं से संबंधित विश्वविद्यालय (राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे। तदुपरान्त इस बाबत प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार किया जा सकता है।
9. बीवि/बोम-6/2007/67(v) : खेल बोर्ड के गठन हेतु :- विश्वविद्यालय के खेल बोर्ड के गठन हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सदस्य प्रबन्ध मण्डल डॉ. एस.एन. शर्मा, प्राचार्य एम.डी. कन्या महाविद्यालय, रायसिंहनगर की अध्यक्षता में खेल बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। खेल बोर्ड के सचिव एवं अन्य सदस्यों का मनोनयन कुलपति महोदय की सहमति से अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा। *SPH*
10. बीवि/बोम-6/2007/67(vi) : सामूहिक बीमा योजना :- विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की प्रीमियम राशि भुगतान के सम्बन्ध में जारी विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 20562-66 दिनांक 26-12-2007 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। *SPH*
11. बीवि/बोम-6/2007/67(vii) : कैंसर के उपचार हेतु शिक्षक कल्याण कोष से स्वीकृत सहायता राशि का अनुमोदन :- श्रीमती मोनिका सेठी, व्याख्याता, (रसायन शास्त्र) श्री गुरुनानक खालसा पी.जी. कॉलेज, श्रीगंगानगर को कैंसर के उपचार हेतु शिक्षण कल्याण कोष से स्वीकृत 25000/- रुपये की सहायता राशि हेतु जारी विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 20685-89 दिनांक 26-12-2007 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। *SPH*

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

SPH
कुलसचिव